सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण *19, गुरूवार,* शाके 1942–*दिसम्बर 10, 2020*	
	Agrahayana 19, Thursday, Saka 1942-December 10, 2020	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग(पथ) राजस्थान, जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण जिला पाली (राजस्थान)

प्रपत्र -9

भूमि अवाप्ति की घोषणा

पाली, दिसम्बर 03, 2020

(**अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम** 2013 (2013 **का अधिनियम संख्या** 30) **की धारा** 19 (1) **एवं नियम** 21 (1)**के अधीन**)

संख्या.एफ.2(06)सानि/एएस/2019-20/डी-303 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 (1) एवं नियम 21 (1)के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए बर-बिलाडा-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-112 निमाज-आसरलाई-बलाडा-टूकडा- अल्ट्राटेक- सीमेन्ट प्लान्ट तक चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किमी. 0/0 से 19/0 तक (बाईपास निर्माण ग्राम बलाडा किमी. 15/0 से 16/0) सडक परियोजना के पुर्ननिर्माण /चौड़ीकरण/ विकसित किये जाने के लिए ग्राम बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली मे कुल 2.6709 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए यह घोषणा की जाती है कि लोक प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परियोजना हेतु ग्राम बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली मे कुल 2.6709 हैक्टेयर भूमि अवाप्ताधिन हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	प्रभावित संरचना
1	761	बलाड़ा	निजी	बारानी अव्वल	0.8094	चॉदा देवी बेवा सुगन चंद, पारसमल, शांतिलाल पि उदयराज हि. 1/4 कौम महाजन चम्पा बीजा, चान्दु	पक्का निर्माण (छत रहित दीवारे)

क्र. सं.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	प्रभावित संरचना
						पि. मिश्रिया लाबुड़ी बेवा मिश्रिया चान्दु ना.बा. केवलिया माता लाबुड़ी बेवा मिश्रिया इन्द्रादेवी पत्नि बगदाराम नेमाराम मेवाराम इन्द्रादेवी सन्तोष देवी सुरजादेवी पिता तुलछाराम सोमतीदेवी पत्नि तुलछाराम कौम बावरी सा. देह खातेदार, नामा. सं 3525 दिनांक 05/09/2017 बेचान से इन्द्रा देवी पत्नि बगदाराम के स्थान पर बंशीलाल पुत्र केसाराम कौम बावरी 15/388) दर्ज शेष बदस्तूर	
2	762	बलाड़ा	निजी	सेवज दोयम	1.0117	गोविन्दराम, मोतीराम, जोगीराम पिता घेवरराम हिस्सा 3/4 (फेफीदेवी पत्नि घेवरराम हिस्सा 191/201 पपु देवी पत्नि दल्लाराम 10/201) 1/4 कौम जाट सा. देह खातेदार	पक्का चबुतरा
3	1105	बलाड़ा	निजी	बारानी दोयम	0.4856	हापुराम पुत्र धन्नाराम कौम राईका सा. देह खातेदार	
4	1046/1	बलाड़ा	निजी	बारानी दोयम	0.3642	पद्मा पुत्र शिवजी कौम राईका सा. देह खातेदार	
कुल अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर) में					2.670		

क्र. सं.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	प्रभावित संरचना
					9		

यह घोषणा भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के तहत इच्छुक और हितबद्ध व्यक्तियों की आपतियों की सुनवाई और जांच के बाद की ला रही है। उपर्युक्त परियोजना हेतु की जा रही भूमि अवाप्ति से कोई भी व्यक्ति/परिवार विस्थापित नही होने से पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की आवश्यकता नही होने से ऐसा नही किया गया है।

अर्जित की जा रही भूमि के नीचे स्थित खनिजों का उपर्युक्त परियोजना के निर्माण हेतु खडडे खोदने, हटाने व निर्माण में प्रयुक्त करने के सिवाय खनन नही किया जावेगा।

भूमि अवाप्ति योजना (एल.ए.पी) का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण के कार्यलय में किया जा सकता है।

मनवर अली,
संयुक्त सचिव **(पथ)**
सा.नि.वि. राज. जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।